निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 35 / वर्ष 2020-2021

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खंड-1, नई टिहरी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता पी एम जी एस वाई, सिचाई खंड-1 नई टिहरी के माह 04/2018 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), द्वारा दिनांक 14/10/2020 से 26/10/2020 तक श्री वी॰ पी॰ सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री देवेन्द्र दिवाकर व श्री एस एस राणा साहयक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पवन कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19/06/2018 से 29/06/2018 तक श्री आई के जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2018 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः पी एम जी एस वाई योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण जिला -टिहरी के अंतर्गत विकास खंड है।

3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि/ अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2017-18		-	217.17	215.38	2796.17	2274.28		
2018-19		-	311.09	302.62	2895.17	2010.98		

2019-20		-	297.79	269.32	4458.72	3052.78		
2020-21		-	146.10	122.41	1859.90	1050.82		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2017-18	पी०एम०जी०एस०वाई०		2344.49	1936.46	
2018-19	,,		2725.67	1842.05	
2019-20	,,		4181.62	2834.22	
2020-21	,,		1823.30	1016.16	

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई की श्रेणी “A” है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव , उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास विभाग।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी एम जी एस वाई उत्तराखंड।

तकनीकी संवर्ग मे:

(3) मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष) (4) मुख्य अभियंता, गड़वाल क्षेत्र,

(5) मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, (6) अधीक्षण अभियंता, मसूरी

(7) अधिशासी अभियंता (8) साहयक अभियंता

(9) कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) साहयक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान साहयक ,(7) वरिष्ठ साहयक ,(8) कनिष्क साहयक ।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई सिचाई खंड-1 नई टिहरी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता पी एम जी एस वाई सिचाई खंड-1 नई टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2020 एवम 01/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। तथा बेलख बूढ़ाकेदार से पिंस्वार मोटर मार्ग का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिसका प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि मे अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2017 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में कोई भी निरीक्षण नही किया गया।

5. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गयी ।

6. फार्म 51: माह 06/2020 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-(धनराशि रु मे) (लागू नही है) (फार्म -51 तैयार नहीं किया जा रहा था)।

भाग प्रथम ... शून्य

भाग द्वितीय .... शून्य

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 06/2020 के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम... शून्य

(ख) सामग्री क्रय....शून्य

(ग) नगद परिशोधन....शून्य

(घ) निक्षेप.... शून्य

(ङ) भण्डार....शून्य

भाग दो 'अ'

प्रस्तर–1: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना ही अपूर्ण मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जाना, ठेकेदार से अनुबन्ध के अनुसार रू0 68.87 लाख की धनराशि वसूल न किया जाना तथा उपरोक्त अपूर्ण मार्ग पर भारत सरकार की व्यय की गयी धनराशि रू0 408.46 लाख भारत सरकार को वापस न किया जाना।

ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या पी 17024/27/10–आर0सी0 दिनांक 10 सितम्बर 2010 के द्वारा जनपद टिहरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–VIII के अन्तर्गत सिरखोली से गोदड़ी–क्यार्की मोटर मार्ग किमी–14 (स्यांसू पुल) से चौधार मोटर मार्ग पैकेज संख्या–यू0टी0 11–22 के डामरीकरण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उत्तराखण्ड शासन के वन व ग्राम्य विकास विभाग के पत्रांक 1510/ पी01–19/ यू0आर0आर0डी0ए0 /10 दिनांक 05 अक्टूबर 2010 के द्वारा 14.00 कि0मी0 के निर्माण कार्य हेतु रू0 601.10 लाख एवं अनुरक्षण कार्य हेतु रू0 71.42 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उपरोक्त मोटर मार्ग के डामरीकरण कार्य हेतु आगणन में निम्न प्रावधान रखे गये थे।

1. अतिरिक्त पहाड़ कटान का कार्य (मोड़ों के सुधार हेतु)।
2. रिटेनिंग वाल/ब्रेस्ट वाल/कुली वाल/पैरापिटस का निर्माण कार्य।
3. नाली/स्कपर्स कैचपिट का निर्माण कार्य।
4. GSB, G3, PC, SealCoat का कार्य।
5 लेबिल पिलर्स/जाब पिलर्स का कार्य
6. अनुरक्षण कार्य पांच वर्ष तक।

उपरोक्त कार्य हेतु निर्माण कार्य के लिये रू0 595.64 लाख की एवं 5 वर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु रू0 71.42 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त कार्य हेतु दिनांक 08.03.2011 को मेसर्स संजय कन्सट्रक्सन, डोईवाला देहरादून के साथ रू0 660.21 लाख का अनुबन्ध गठित किया गया था जिसमें निर्माण कार्य की लागत रू0 589.85 लाख तथा 5 वर्षीय अनुरक्षण की लागत रू 70.35 लाख थी। उपरोक्त अनुबन्ध के अनुसार निर्माण कार्य आरम्भ करने की तिथि 08.03.2011 तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 07.06.2012 थी।

लेखा अभिलेखों की आगे जांच में पाया गया कि उपरोक्त ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य बीच में ही छोड़ दिया गया (ठेकेदार द्वारा दिनांक 20.11.2014 तक कार्य किया गया) एवं ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य छोड़े जाने तक कार्य की वित्तीय प्रगति रू0 408.46 लाख तथा भौतिक प्रगति 5.50 किमी थी। आगे जांच में यह भी पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक दिनांक 07 जुलाई 2015 के द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था तथा उपरोकत निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 19 जनवरी 2016 के द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य को लोक

निर्माण विभाग से कराने हेतु रू0 1067.74 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस प्रकार यह अपूर्ण कार्य लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था। नियमानुसार बीच में निर्माण कार्य छोड़े जाने की दशा में (1) अपूर्ण निर्माण कार्य का 20 प्रतिशत अर्थात रू0 50.35लाख (660.21–408.46=251.75X20%)ठेकेदार से वसूल किया जाना चाहिये तथा (2) निर्माण कार्य समय से पूर्ण न करने के कारण अनुबन्ध मूल्य का 10 प्रतिशत अर्थात रू0 66.02 लाख Liquidity Damage की वसूली की जानी चाहिये थी। इस प्रकार अपूर्ण निर्माण कार्य की दशा में ठेकेदार से कुल रू0 116.37 लाख की वसूली की जानी चाहिये थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि उक्त अनुबन्ध के अन्तर्गत मोटर मार्ग का कार्य पूर्ण करने हेतु इस कार्यालय द्वारा बार बार पत्र लिखे गये तथा उच्चाधिकारियों द्वारा भी ठेकेदार को निर्देशित किया गया किन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई रूचि नही दिखाई गई जिस कारण अवशेष कार्य की 20 प्रतिशत तथा अनुबन्ध की लागत का 10 प्रतिशत एल0डी0 के साथ अनुबन्ध का अन्तिमीकरण कर दिया गया। ठेकेदार से कुल धनराशि रू0 47.50 लाख की वसूली कर ली गयी है, वर्तमान में उक्त मोटर मार्ग पर वाद स्टैण्डिंग इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष लम्बित है। शेष धनराशि की वसूली हेतु इस कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी टिहरी को पत्र लिखा गया है। इकाई ने आगे अवगत कराया कि अपूर्ण निर्माण कार्य को उत्तराखण्ड शासन के आदेशों के अनुक्रम में लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया। इकाई द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य को लोक निर्माण विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में कोई उत्तर नही दिया गया तथा उपरोक्त मार्ग पर भारत सरकार की व्यय की गयी धनराशि रू0 408.46 लाख भारत सरकार को वापस किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है।

इकाई का उत्तर मान्य नही था क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन अपूर्ण मार्ग को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने से पूर्व भारत सरकार की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिये थी, चूंकि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य बन्द किये हुये 6 वर्ष से अधिक समय बीत गया है अतः ठेकेदार से अनुबन्ध के अनुसार रू0 68.87 लाख की धनराशि वसूल की जानी चाहिये थी तथा उपरोक्त मार्ग पर भारत सरकार की व्यय की गयी धनराशि रू0 408.46 लाख भारत सरकार को वापस किया जाना चाहिये था।

इस प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना ही अपूर्ण मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जाना, ठेकेदार से अनुबन्ध के अनुसार रू0 68.87 लाख की धनराशि वसूल न किया जाना तथा उपरोक्त अपूर्ण मार्ग पर भारत सरकार की व्यय की गयी धनराशि रू0 408.46 लाख भारत सरकार को वापस न किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर 1:- रु 119.08 लाख की शासकीय क्षति (रु 29.26 लाख राशि व्यय की जा चुकी है एवं रु 89.82 लाख का दायित्व सृजन) का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Standard biding document 2015 के अनुसार :

- **Insurance 13.1** The Contractor at his cost shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the date of completion, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for the following events which are due to the Contractor's risks: (a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials; (b) loss of or damage to Equipment; (c) loss of or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with the Contract; and (d) Personal injury or death.
- **13.2** Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer's approval before the Start Date.
- **45.2** The Contractor is to use the advance payment only to pay for Equipment, plant and Mobilization expenses required specifically for execution of the Works. The Contractor shall demonstrate that the advance payment has been used in this way by supplying copies of invoices or other documents to the Engineer.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज -13 के अंतर्गत टिहरी मे पैकेज संख्या यू टी -11-05 के अनुसार बेलाक बुड़ाकेदार से पिंस्वार मोटर मार्ग स्टेज -1 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकर्ति भारत सरकार का पत्र संख्या J-17204/27/2015-RC (346471) दिनांक 28.06 .2016 के द्वारा प्राप्त हुई थी इसके बाद ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड शासन, देहारादून के पत्र 311/Goi/xi/16/56/(08) 2014 दिनांक 21.07.2016 के द्वारा 20 किमी लम्बाई मे रु 1052.70 लाख नई सड़क निर्माण व 90.69 लाख अनुरक्षण हेतु स्वीकर्ति प्रदान की गयी थी इसके बाद अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 6/8/16 को रु 1050.52 लाख व रु 90.69 लाख राशि की तकनीकी स्वीकर्ति प्रदान की गयी थी इसके बाद इन निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुबंध संख्या 167 /CE-यूआरआरडीए/2016-17 का गठन दिनांक 4/1/17 को किया गया था अनुबंधित लागत रु 951.70 लाख निर्माण व 42.07 लाख 5 साल के अनुरक्षण हेतु निर्धारित की गयी थी। कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक 4/1/17 कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 3/4/18 थी।

आगे लेखापरीक्षा मे पाया गया कि - लेखापरीक्षा तिथि तक निर्माण कार्य पर व्यय राशि 1030.34 लाख थी, कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी 2 वर्ष से अधिक विलम्ब से कार्य पूर्ण हुआ था एवं रु अनुबंधित लागत रु 951.70 लाख के सापेक्ष रु 1030.34 लाख का व्यय किया गया था परंतु इसकी स्वीकर्ति उच्च अधिकारियों से प्राप्त कर ली गयी थी एवं समय वृद्धि भी बिना अर्थदण्ड के स्वीकृत थी जिसके लिये कोई कारण नही दिया गया था । यह भी पाया गया कि ठेकेदार को अग्रिम रु 142.00 लाख

मशीन एवं सामग्री क्रय हेतु दिया गया था इसकी बैंक गारंटी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी थी । यह राशि बिना ब्याज के अगिम के रूप मे ठेकेदार को दी गयी थी, ठेकेदार द्वारा किस मशीन को खरीदा गया था तथा Tax Invoice/ बिल लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए ।

यह भी पाया गया कि-एस बी डी के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्यो का बीमा भी नहीं कराया गया था इस निर्माण कार्य मे रु 3.65 लाख राशि ठेकेदार के बिल से बीमा हेतु वसूल भी की गयी थी जबकि मार्ग के निर्माण के दौरान पत्थर आदि गिरने के कारण रु 119.08 लाख की कुल क्षति हुई थी इसमे से रु 29.26 लाख राशि व्यय की गयी थी एवं रु 89.82 लाख की क्षति का भुगतान किया जाना शेष था। यदि बीमा किया जाता तो ठेकेदार द्वारा क्षतिग्रस्त अगुंडा नहर रु 27.27 लाख क्षतिपूर्ति भी बीमा कम्पनी द्वारा देय होती (अगुंडा नहर की क्षति रु 93.52 लाख सिचाई विभाग द्वारा आगणित की गयी थी जबकि पी एम जी एस वाई द्वारा 27.27 लाख ही माना गया था) इसके अतिरिक्त अन्य क्षतियों को मिला कर इसी प्रकार इस निर्माण से कुल रु 119.08 लाख की क्षति से बचा जा सकता था । जो इस समय रु 29.26 लाख राशि व्यय की जा चुकी है एवं रु 89.82 लाख का दायित्व विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

इस सम्बंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि – अगुंडा नहर एवं निजी संपत्ति मोटर मार्ग के किमी 9 के संरेखण मे आने के कारण यह दायित्व विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है ।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि सिचाई विभाग द्वारा रु 93.52 लाख की मांग मोटर मार्ग के संरेखण मे नहर आने हेतु नहीं की गयी है जबकि मार्ग निर्माण के समय मलवा व बोल्डर गिरने के कारण क्षतिग्रस्त नहर को ठीक करने के लिए राशि की मांग की गयी थी । अत: कुल रु 119.08 लाख की शासकीय क्षति हुई (रु 29.26 लाख राशि व्यय की जा चुकी है एवं रु 89.82 लाख का दायित्व सृजन) का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर 2:- विभागीय उदासीनता के कारण निर्माण लागत में वृद्धि:- ` 80.00 लाख।

जनपद टिहरी गढ़वाल मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज –X के अंतर्गत पैकेज संख्या UT-1118 मे टिपरी चाह गड़ोलिया मोटर मार्ग (लंबाई 14.97 किमी०) के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून के पत्रांक 2306/पी1-3-14/ यूआरआरडीए/13 दिनांक 12.03.2013 द्वारा निर्माण कार्यो हेतु रु 679.03 लाख एवं अनुरक्षण मद हेतु रु 64.86 लाख की प्रदान की गयी। जिस पर इतनी ही राशि की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियंता स्तर-2 पी०एम०जी०एस०वाई०, देहरादून द्वारा माह 05/2013 मे प्रदान की गयी।

अधिशासी अभियंता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खंड-1, टिहरी की लेखापरीक्षा (10/2020) मे उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्य के निष्पादन हेतु विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम निविदाता मैसर्स बेताल सिंह कूमैन (JV) के साथ रु 651.33 लाख का लागत का अनुबन्ध संख्या 20/SE-PMGSY/2013-14 दिनांक: 01.06.2013 गठित किया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 01.06.2013 व समाप्ति की तिथि 30.11.2014 थी। किन्तु उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि माह 08/2013 मे पी०एम०जी०एस०वाई० द्वारा निर्माणाधीन टिपरी-कांडीखाल मोटर मार्ग से फेका गया मलवा वर्षा के पानी के साथ गांव मे आने के कारण तथा उनको मुआवजा न मिलने के कारण ग्रामीणो द्वारा मार्ग का विरोध किया गया तथा मार्ग के कुछ हिस्सो मे भी मलवा आने कारण ठेकेदार द्वारा कार्य नही किया गया। खंड द्वारा ठेकेदार के साथ मिलकर व्यवधानों का समाधान करने के बजाए माह 11/2017 मे उक्त कार्य हेतु गठित अनुबंध का अंतिमिकरण कर दिया गया। जिसमे ठेकेदार को अंतिम देयक के अनुसार उसको रु 389.91 लाख का भुगतान किया जा चुका था। इसके बाद विभाग द्वारा अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु पुनः निविदा आमंत्रित कर अन्य अनुबंध **सं 48/**CE-URDDA/2018-19 अवशेष लागत से लगभग 38 प्रतिशत उच्च लागत/दर पर ` 437.16 लाख (369.61 लाख निर्माण कार्य + रु 67.55 लाख अनुरक्षण) का मै० पँवार कस्ट्राक्सन टिहरी गढ़वाल के साथ दिनांक 03.08.2018 को गठित कर कार्य कराया गया। जिसके अंतिम देयक के अनुसार अवशेष कार्य हेतु रु 369.12 लाख का भुगतान किया जा चुका था। इस प्रकार मोटर मार्ग हेतु स्वीकृत राशि रु 679.03 लाख के सापेक्ष दोनों ठेकेदारो को केवल निर्माण कार्य हेतु ही रु 759.03 लाख का भुगतान अर्थात स्वीकृत लागत से लगभग रु 80.00 लाख[1] का अधिक भुगतान किया जा चुका था। यदि विभाग द्वारा समय पर उचित कार्यवाही कर व्यवधानों का समाधान कर लिया जाता तो कार्य पर होने वाली रु 80.00 लाख की अनावश्यक लागत वृद्धि से बचा जा सकता था।

सम्प्रेक्षा मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा यह उत्तर दिया गया कि मार्ग का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कोई व्यवधान नही था दिनांक 16.06.2013 को अत्यधिक वर्षा के कारण आई दैवीय आपदा से मोटर मार्ग के किमी -11 मे पाँच भवनो मे मालवा घुसने के कारण व्यवधान उत्पन्न हुआ। ग्रामीणो द्वारा विरोध किए जाने के कारण ठेकेदार कार्य नही कर पाया जिसके कारण अनुबंध का अंतिमिकरण किया गया तथा पुन:निविदा आमंत्रितत्र कर मै० पँवार कंस्ट्रक्सन के साथ अनुबंध गठित कर दिनांक 08.08.2018 को कार्य प्रारम्भ करने पर भी भवन स्वामियों द्वारा विरोध किया किन्तु माननीय विधायक महोदय के समझाने पर ग्रामीणो द्वारा कार्य करने की सहमति दी गयी।

[1] रु 389.91 लाख(अनु०२०/एसई) + रु 369.12 लाख(अनु० 48/एसई) -रु 679.03 लाख =रु 80.00 लाख

खंड का उत्तर लेखापरीक्षा मे मान्य नही है क्योकि ग्रामीणो का विरोध पीएमजीएसवाई के निर्माणाधीन मोटर मार्ग टिपरी-काणडीखाल सड़क का मलबा दिनांक 13.08.2013 एवं 14.08.2013 को वर्षा के पानी साथ आने के कारण ग्रामीणो के मकानो को हुई क्षति से प्रारम्भ हुआ था। न कि दिनांक 16.06.2013 को अत्यधिक वर्षा के कारण आई दैवीय आपदा के कारण। जिसके समाधान हेतु भी इकाई द्वारा पूर्व मे जन-प्रतिनिधियों आदि के माध्यम से कोई ठोस प्रयास नही किया गया। न ही संबन्धित ग्रामीणो की क्षति की प्रतिपूर्ति समय से की गयी। जिसके कारण लागत मे रु 80.00 लाख की अनावश्यक वृद्धि हुई। साथ ही पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत निर्माणाधीन टिपरी-कांडीखाल मोटर मार्ग से मलवा आया था उसके अनुबंध की शर्तानुसार यदि बीमा कराया जाता तो भवनो की क्षति की प्रतिपूर्ति उससे भी की जा सकती थी। जो नही की गयी।

अत: विभागीय उदासिनता के कारण निर्माण लागत में ` 80.00 लाख की वृद्धि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर 3:- अनुबन्ध की शर्तोनुसार ठेकेदारो द्वारा बीमा पालिसी न कराये जाने पर ठेकेदारो से अनुबन्ध लागत का 01 प्रतिशत ` 16.00 लाख की कटौती न किया जाना ।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना हेतु निर्धारित स्टैन्डर्ड बिडिंग डोकुमेन्ट के प्रस्तर 13.1 के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से लेकर समापन तक काम के नुकसान या क्षति, व्यक्तिगत क्षति और मशीनरी एवं उपकरण के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर करेगा। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने में विफल होता है तो ठेकेदार के देयकों से **(i)** अनुबन्धित धनराशि का 0.50 प्रतिशत कार्यों, प्लान्ट एवं सामग्री हेतु, **(ii)** अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत उपकरण के नुकसान या क्षति एवं **(iii)** अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत अन्य परिसम्पत्तियों हेतु कटौती की जानी चाहिए।
अधिशासी अभियंता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खंड-1, टिहरी की लेखापरीक्षा (10/2020) मे पाया गया कि तीन चयनित कार्यों **कोटी चांजी डखवाणगाँव, घनसाली पावली से अखेड़ी एवं घनसाली से तिलवाड़ा मोटर मार्ग हेतु क्रमश: गठित अनुबन्ध संख्या:** 93/CE-URRDA/2018-19, 114/CE-URRDA/2018-19 एवं 91/CE-URRDA/2018-19 के स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1 **की शर्तानुसार ठेकेदारो** द्वारा न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गयी एवं न ही विभाग द्वारा अनुबन्ध **की शर्तानुसार** 01 प्रतिशत की कटौती की गई। जबकि अनुबन्धित धनराशि ` **1643.18 लाख** के सापेक्ष 01 प्रतिशत इंशोरेन्स की धनराशि ` 16.43 **लाख (विवरण संलग्नक-1 के अनुसार)** की कटौती कर विभाग द्वारा ही बीमा पॉलिसी कराया जाना चाहिए था, जो नही की गयी थी। जिससे न केवल **ठेकेदारो** को वित्तीय लाभ पहुँचाया गया अपितु मोटर मार्गों में अनुबन्धों के अन्तिमीकरण तक नुकसान का जोखिम बना रहेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि **अनुबंध सं** 91/CE-URRDA/2018-19 **मे द्वितीय चालू बीजक तक बीमा हेतु कटौती की गयी है तथा जिन ठेकेदारो द्वारा बीमा नही कराया गया है उन्हे निर्देशित कर दिया गया गया है यदि वे बीमा उपलब्ध नही कराते है तो आगामी बीजको से बीमा की राशि की वसूली कर ली जाएगी ।** उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार **ठेकेदारो** द्वारा बीमा पॉलिसी उपलब्ध न कराए जाने पर देयकों से 01 प्रतिशत की धनराशि की कटौती की जानी चाहिए थी। **जिससे इकाई द्वारा बीमा पालिसी कराकर कार्य की साइट पर होने वाली किसी भी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।**

अतः **अनुबन्ध की शर्तोनुसार ठेकेदारो द्वारा बीमा पालिसी न कराये जाने पर ठेकेदारो से अनुबन्ध लागत का 01 प्रतिशत** ` 16.00 लाख **की कटौती कर बीमा पालिसी न कराये जाने** का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>संलग्नक-1</u>

क्र0 सं0	कार्यों के नाम	अनुबंध संख्या	अनुबन्धित राशि (रु लाख मे)	ए बीमा कटौती योग्य राशि (₹ लाख)
1.	Koti Chanji Dhakwangaon Road	Ag:93/CE-URRDA/2018-19	**210.46**	2.10
2.	Ghansali Panwali to Akhori Moter Road	Ag: 114/CE-URRDA/2018-19	**236.57**	2.36
3.	Ghansali to Tilwara Moter Road	Ag:91/CE-URRDA/2018-19	**1196.15**	11.96
योग		**16.42**		

<u>**भाग- 2(ब)**</u>

प्रस्तर 4:- समयपूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण 02 अधिकारियों को ₹1.53 लाख का वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान किया जाना।

उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के नियम 10(3) के अनुसार ऐसा कर्मचारी जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/ चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसंबर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/ चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित *<u>वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।</u>*

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खंड-I, नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि श्री संजय श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता एवं श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी, सहायक अभियंता का वेतनमान, अधीक्षण अभियंता के पद का वेतनमान दिनांक 31.10.2017 से स्तर-12 से स्तर-13 में उच्चिकृत होने के फलस्वरूप, क्रमशः कार्यालय ज्ञाप संख्या-1783/पीएमजीएसवाई/सि0ख0-I दिनांक-12.10.18 एवं ज्ञाप संख्या-1129/पीएमजीएसवाई/सि0ख0प्र0/ई0-4 दिनांक-21.07.18 के द्वारा, ₹123100/- निर्धारित किया गया है एवं वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2018 से अनुमन्य की गयी है। नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन उच्चीकरण की तिथि से कम से कम 6 माह का समय पूर्ण होने पर जनवरी/ जुलाई में ही देय होगी। इस प्रकार जो वार्षिक वेतन वृद्धि उक्त दोनों अधिकारियों को 01.07.2018 से अनुमन्य की जानी चाहिए थी, वह उन्हें 6 माह पहले दिनांक 01.01.2018 से अनुमन्य की गयी है जिसके कारण उक्त दोनों अधिकारियों को वर्ष 2018 के बाद के वर्षों में भी वार्षिक वेतन वृद्धियाँ, जो दिनांक 01.07.2019 एवं 01.07.2020 को अनुमन्य की जानी चाहिए थीं, भी समय से पहले क्रमशः 01.01.2019 एवं 01.01.2020 को अनुमन्य की गयी हैं। कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी अभिलेखों/ साक्ष्यों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा इन अधिकारियों को अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तो की धनराशि की गणना की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	नाम	पदनाम	अवधि	अधिक भुगतान की गयी कुल धनराशि (₹ में)
01.	श्री संजय श्रीवास्तव	अधिशासी अभियंता	11/2017- 09/2020	76668.00
02.	श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी	सहायक अभियंता	11/2017- 09/2020	76668.00
योग				153336.00

(अधिक भुगतान की गयी राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी calculation sheet संलग्न है।)

इस प्रकार समय पूर्व वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने के कारण दिनांक 30.10.2018 से दिनांक 30.09.2020 तक की अवधि में उक्त दोनों अधिकारियों में प्रत्येक को धनराशि ₹76,668/- **(कुल धनराशि=76668*2=₹1,53,336/-)** वेतन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है।

उक्त प्रकरण के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर लिया जाएगा। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। अत: समय पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण 02 अधिकारियों को ₹1.53 लाख का वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण ।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
86/11-12	1,2	-	-
1/14-15	1,2	-	-
214/15-16	1	-	-
45/18-19	1	1,2,3	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है ।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्य

"शून्य"

भाग – V
आभार

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–1, नई टिहरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री संजय श्रीवास्तव	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–1, नई टिहरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248 195** को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)